सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट बारां

प्रकरण सख्या 45/15

राजस्थान सरकार जर्ये एस0एच0ओ0 थाना मांगरोल

सायल

बनाम

हरिओम पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बोहत थाना मांगरोल

गेर सायल

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

उपस्थितः— श्री धैर्य नागर अभिभाषक गेर सायल

—: आदेश :—

दिनांकः— 31.07.2018

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि पुलिस अधीक्षक बारां की और से हरिओम पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बोहत थाना मांगरोल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन हेतु उनके पत्र सख्या 4418—20 दिनांक 06.08.2015 द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि गैर सायल के विरूद्व थाना मांगरोल में मुकदमा सख्या 145/08 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 मु0स0 206/11 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 मु0स0 209/14 अन्तर्गत धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 अधिनियम मे दर्ज हुए है। गैर सायल के विरूद्व 3 मुकदमों में न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर गेंर सायल को दोषी मानकर जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया है। इसके बावजूद भी वह जुवा, सट्टा के अवेध कार्य एवं लडाई झगडा, मारपीट आदि आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त रहता है। गेर सायल की आम शोहरत यह है कि यह इतना कुख्यात एवं दुःसाहस है कि आमजन इसकी अपराधो की रिपोर्ट करने या इसके विरूद्व गवाही देने से डरते है इस कारण इसके द्वारा किये जा रहे अपराध रिकार्ड पर दर्ज नही हो रहे है। इसका स्वचछन्द रहना समाज के लिए परिसंकटमय है। अतः गैर सायल के विरूद्व गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(3) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज कर गेर सायल को नोटिस द्वारा तलब किया गया तथा आरोप पत्र दिखाया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री धैर्य नागर द्वारा वकालत नामा पेश किया गया। अधिवक्ता गेर सायल ने तर्क दिया कि गेर सायल के विरूद्व चल रहे 3 प्रकरणों का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है जिसमे गेर सायल को जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। वर्ष 2014 के बाद से गैर सायल के विरूद्व कोई मुकदमा दर्ज नही है। गैर सायल प्रकरण में जुर्म स्वीकार करता है, प्रकरण में कम से कम सजा देकर प्रकरण का निस्तरण किया जावे। गैरसायल अब मेहनत मजदूरी कर शांति/सदभावना पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है।

मेंने अधिवक्ता गैर सायल की बहस का मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अभियोजन की और से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर राज0गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 के अर्न्तगत सन्तुष्ट होकर मै गैर सायल को गुण्डा घोषित करता हूँ और निम्न आदेश पारित करता हूँ।

—: आदेश :—

हरिओम पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी बोहत थाना मांगरोल को 5 (पांच) दिन के लिए थाना मांगरोल जिला बारां की सीमाओ से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है । इस अवधि मे वह पुलिस थाना दादाबाड़ी कोटा जिला कोटा के थाना अधिकारी को प्रति दिन थाना अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट समय पर उपस्थित होकर अपनी गतिविधियो की सूचना देता रहेगा। उक्त अवधि मे वह न तो कोई घातक हथियार अपने पास रखेगा और ना ही काम मे लेगा, ना किसी प्रकार के मादक द्रव्य मदिरा, अफीम, गॉजा, चरस, भांग आदि का या विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तु का कब्जा अपने पास रखेगा। किसी शेक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था, मेला हाट आदि के समीपस्थ दूरी के भीतर उपस्थित नही होगा। शान्ति बनाये रखने व सदाचारी बने रहने हेतु 10000—10000 रू0 अक्षरे (दस—दस हजार रूपये) का जमानत मुचलका प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.18 को खुले न्यायालय मे टंकित कराया जाकर सुनाया गया। आज मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
अति0जिला कलक्टर एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां